कार्यालय, नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला – एम0सी0बी0 (छ0ग0)

क्र0 /3048/ स्वा.वि. / न0पा0नि0 / 2025, चिरमिरी, दिनांक 21/11/25

-:: निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण) ::-

नगरपालिक निगम चिरमिरी द्वारा **शहर के आवारा श्वानों को पकड़कर उनका बंध्याकरण एवं एन्टीरैबीज टीकाकरण कार्य** हेतु AWBI (Animal Welfare Board of India) से मान्यता प्राप्त एवं शासन द्वारा पशु चिकित्सा कार्य एवं संरक्षण गतिविधियों हेतु पंजीकृत एन0जी0ओ0 / पंजीकृत फर्मों / एजेंसियों से त्रि–लिफाफा पद्धति में दिनांक 11/12/25 को सायं 4:00 बजे तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 12/12/25 अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित संस्था / फर्मों / एजेंसियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा। विवरण निम्नानुसार है:–

कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क (डी.डी. /
नगरपालिक निगम चिरमिरी क्षेत्रांतर्गत आवारा श्वानों को पकड़कर उनका बंध्याकरण एवं एन्टीरैबीज टीकाकरण कार्य एवं अन्य कार्य	रू0 4.00	रू0 10,000.00	रू0 750.00

नियम एवं शर्तें तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन अवधि में दिनांक 11/12/25 तक देखी व प्राप्त की जा सकती है तथा वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** एवं **www.nagarnigamchirmiri.com** पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

पृ0क्र0 /3049 / स्वा.वि. / न0पा0नि0 / 2025, चिरमिरी, दिनांक 21/11/25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, न0पा0नि0 चिरमिरी की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, राज्य डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
3. सम्पादक दै0 आज का आलाप (छ0ग0) क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री अरुण अग्रवाल को सूचनार्थ। कृपया अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में निविदा को **02** कॉलम X 06 से0मी0 में दिनांक 27/11/25 के अंक में शासन के स्वीकृत दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे। साथ ही विज्ञापन प्रकाशन की तीन प्रति देयक के साथ तीन दिवस के भीतर संबंधित शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
4. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
5. आयुक्त नस्ती हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

D:\Nigam\TECHNICAL\NIVIDA (TENDER)\Nivida Suchna(Dog Deverming & Vaccinate).doc

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ०ग०)

Schedule of Item

कार्य का नाम :- नगरपालिक निगम चिरमिरी क्षेत्रांतर्गत आवारा श्वानों को पकड़कर उनका बंध्याकरण एवं एंटीरैबीज टीकाकरण कार्य

क्र०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर
1	आवारा श्वानों को पकड़ने का कार्य (सम्पूर्ण 40 वार्ड	प्रति पशु	
2	पौष्टिक आहार एवं रख–रखाव कार्य	प्रति पशु	
3	बंध्याकरण कार्य	प्रति पशु	
4	टीकाकरण कार्य	प्रति पशु	
5	डी–वार्मिंग कार्य	प्रति पशु	
6	मृत पशुओं के डिस्पोजल का कार्य	प्रति पशु	

निविदादाता के हस्ताक्षर (सील सहित)

Scanned with CamScanner

कार्यालय, नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला – एम0सी0बी0(छ0ग0)

आवारा श्वानों के बंध्याकरण हेतु निविदा की शर्तें व नियम

01. निविदाकर्ता को श्वानों को बंध्याकरण कार्य किये जाने का तकनीकी तथा व्यावसायिक ज्ञान के साथ शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्था अथवा पंजीकृत चैरिटेबल संस्था, जो कि Animal Welfare Board of India (AWBI) द्वारा मान्यता प्राप्त हो, निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

02. निविदाकर्ता को निविदा के साथ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. तथा निविदा शुल्क के रूप में निर्धारित राशि का डी.डी./विविध रसीद (नगर निगम चिरमिरी द्वारा जारी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03. निविदा त्रि–लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा, पृथक–पृथक लिफाफों में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा :–

लिफाफा "अ"

1) अमानत राशि का एफ.डी.आर.।
2) निविदा प्रतिभागगिता शुल्क के रूप में निर्धारित राशि का डी.डी./विविध रसीद (न0पा0नि0चिरमिरी द्वारा जारी)।
3) फर्म/संस्था का जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) में पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
4) फर्म/संस्था का फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत् पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
5) फर्म/संस्था में संलग्न रजिस्टर्ड वेटनरी चिकित्सक (जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्/राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत हो) का प्रमाण पत्र/नियुक्ति पत्र की प्रति।
6) पिछले वित्तीय वर्ष (2024–25) का आयकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

लिफाफा "ब"

1) पूर्णरूपेण भरा हुआ स्वयं के लेटरपेड पर अंकित निविदा दर पत्रक।

लिफाफा "स"

अ) उपरोक्त दोनों लिफाफे "अ" एवं "ब" को भरकर मुहरबंद किया जाना है।

(निविदा प्रपत्र में दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा काटछांट या अपलेखन मान्य नहीं होगी।)

04. अमानत राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/स्थानीय स्तर के ग्रामीण बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0, जो **आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी** एवं संबंधित फर्म के संयुक्त नाम से जारी हो एवं डी0डी0 प्रस्तुत करने की स्थिति में "आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी" के पक्ष में देय होगा।

05. सर्वप्रथम लिफाफा–(अ) खोला जावेगा, लिफाफा–(अ) में कण्डिका (3) पर उल्लेखित दस्तावेज संतोषजनक होने की स्थिति में ही (निविदा दर) लिफाफा–(ब) खोला जावेगा।

06. आवारा श्वानों को पकड़कर उनका बध्याकरण, टीकाकरण व डिवार्मिंग किया जाकर निकाय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार छोड़ना होगा।

07. इस कार्य हेतु श्वानों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित डॉग केचर्स कर्मचारी एवं आवश्यक उपकरण फंदे, जाली आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा करनी होगी।

08. संस्था द्वारा पकड़े गये श्वानों के बंध्याकरण एवं टीकाकरण के कार्य में लगने वाले सभी प्रकार के सर्जिकल उपकरण, फर्नीचर, दवाईयां, वेक्सीन एवं श्वानों के भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

09. पकड़े गए आवारा कुत्तों के आहार का विशेष ध्यान रखना होगा, उनकी दरें प्रतिमाह की दरों में सम्मिलित होगी।

10. पकड़े गये श्वानों के बंध्याकरण का कार्य प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों के द्वारा कराया जावेगा तथा बंध्याकरण के पूर्व एवं पश्चात् (प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव) की सभी सावधानियां एवं संक्रमण की रोकथाम के सभी उपाय संस्था द्वारा करना होगा तथा ऑपरेशन के पश्चात् श्वानों को कम से कम 5 दिन तक पोस्ट ऑपरेटिव केयर हेतु रखा जावेगा।

11. स्थल का चयन निकाय द्वारा किया जावेगा, जहां पकड़े गऐ आवारा श्वानों को रख–रखाव व CSVR का कार्य किया जावेगा।

12. बंध्याकरण कार्य हेतु पकड़े गये, ऑपरेशन किए गये श्वानों की जानकारी एक रजिस्टर (पंजी) में संस्था द्वारा रखी जावेगी। जिसे आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

13. संस्था द्वारा श्वानों के पकड़ने व बंध्याकरण कार्य में किसी भी तरह की पशु क्रूरता नहीं होनी चाहिए तथा शल्य क्रिया से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करना होगा।
14. संस्था द्वारा बंध्याकरण किए गए श्वानों पर अंग्रेजी के 'V' आकार का निशान (पहचान चिन्ह) अमिट स्याही या अन्य हानिरहित तरल से बनाना होगा, जिससे यह पता चल सके कि श्वानों का बध्याकरण किया जा चुका है।
15. संस्था द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् किये गये कार्य का देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। देयक का परीक्षण व सत्यापन संबंधित तकनीकी अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा किये जाने पश्चात् सक्षम स्वीकृति उपरांत नियमानुसार कटौती उपरांत भुगतान किया जावेगा।
16. निदान 1100 के माध्यम से आवारा कुत्तों को पकड़ने हेतु जो शिकायत प्राप्त होगी, उनका निराकरण विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना होगा।
17. निविदा दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर अनुबंध करना होगा। अनुबंध न करने या कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं अमानत राशि नियमानुसार राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
18. कार्य में लापरवाही पाये जाने पर प्रति दिन सामान्य कटौती के अतिरिक्त रू0 500/– से 5000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।
19. संस्था/फर्म व पंजीकृत वेटनरी चिकित्सक के पास श्वानों के ऑपरेशन व पकड़ने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों की सूची नगरपालिक निगम चिरमिरी को उपलब्ध कराना होगा।
20. संस्था/फर्म द्वारा किसी के पालतु श्वानों के उपचार/बंध्याकरण का कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा करने पर कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
21. समय–समय पर जारी शासनादेशों व नियमों का पालन करना होगा।
22. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
23. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु आयुक्त या अन्य सक्षम प्राधिकारी अधिकृत रहेंगे। निविदा निरस्त किये जाने की स्थिति में कारणों को बताया जाना आवश्यक नही होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला–एम0सी0बी0 (छ0ग0)

Scanned with CamScanner